संख्या-13/2017/607/60-2-17-2/3(12)/07

प्रेषक,

भुवनेश्वर प्रसाद मिश्र
उप सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

निदेशक,
बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

महिला एवं बाल विकास अनुभाग-2 लखनऊ : दिनांक 17 मार्च, 2017

विषय : वित्तीय वर्ष 2016-17 में कन्वर्जेन्स के माध्यम से आंगनवाड़ी केन्द्र भवनों के निर्माण हेतु वित्तीय स्वीकृति दिये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासन के पत्र संख्या-11/2017/212(2)/60-2-17-2/3(12)/07, दिनांक 03.03.2017 का संदर्भ ग्रहण करें जिसके द्वारा वित्तीय वर्ष 2016-17 में कन्वर्जेन्स के माध्यम से आंगनवाड़ी केन्द्र भवनों के निर्माण हेतु अनुदान संख्या-83 के अन्तर्गत प्राविधानित धनराशि रूपये 46.00 करोड़ के सापेक्ष रू0 4463.36 लाख की वित्तीय स्वीकृति कतिपय शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन निर्गत की गयी है।

2. इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उक्त शासनादेश के प्रस्तर-4 में त्रुटिवश "अनुदान संख्या-83" के स्थान पर "अनुदान संख्या-49" अंकित हो गया है, जिसे "अनुदान संख्या-83" पढ़ा जाय।

उक्त शासनादेश संख्या-11/2017/212(2)/60-2-17-2/3(12)/07, दिनांक 03.03.2017 इस सीमा तक संशोधित समझा जाय।

भवदीय,

(भुवनेश्वर प्रसाद मिश्र)
उप सचिव

संख्या-13/2017/607(1)/60-2-2017, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. प्रधान महालेखाकार(जनरल एण्ड सोशल सेक्टर आडिट), उ.प्र.,इलाहाबाद।
2. सचिव, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, भारत सरकार नई दिल्ली।
3. प्रमुख सचिव, ग्राम्य विकास विभाग, उ0प्र0 शासन।
4. प्रमुख सचिव, पंचायती राज विभाग, उ0प्र0 शासन।
5. आयुक्त, ग्राम्य विकास विभाग, उ0प्र0।
6. निदेशक, पंचायती राज विभाग, उ0प्र0।
7. समस्त जिलाधिकारी, उ0प्र0ा
8. मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
9. वित्त व्यय नियंत्रण अनुभाग-3/वित्त आय-व्ययक अनुभाग-1
10. राज्य योजना आयोग-1/केन्द्रीय सहायता अनुभाग।
11. आहरण वितरण अधिकारी, निदेशालय, बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार, उ0प्र0।
12. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(शिवराज कुमार यादव)
अनु सचिव

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in